

1

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 850/2010 ई0फौ0

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 850/2010 ई.फौ.

संस्थापन दिनांक : 20.12.2010

श्रीदेवी पत्नी रिन्कू बाथम आयु 23 साल पुत्री रोशनलाल जाति बाथम
निवासी वार्ड नं0 14 शंकरपुरा मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— परिवादी

बनाम

1—रिन्कू बाथम पुत्र पातीराम बाथम आयु 25 साल जाति बाथम
2—पिन्की पुत्र पातीराम आयु 30 साल
3—मीना पत्नी पिन्की आयु 28 साल
4—मोनू आयु 24 साल पुत्र पातीराम बाथम
5—छोटू आयु 21 साल पुत्र पातीराम बाथम
समस्त निवासीगण तारागंज ढोलीबुआ का पुल सरकारी पाखाने के पास
ग्वालियर म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा-498ए भा0दं0सं0)

(परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री गिराज भट्टेल)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आरोपी0एस0 गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 04-01-2018 को घोषित)

आरोपीगण पर वर्ष 2007 में कस्बा मौ गोहद में परिवादी श्रीदेवी के पति/नातेदार होकर परिवादिया श्रीदेवी से दहेज में बीस हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी श्रीदेवी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता काशित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि परिवादी श्रीदेवी का विवाह परिवाद प्रस्तुत करने के करीब पांच वर्ष पूर्व आरोपी रिन्कू के साथ कस्बा मौ में हुआ था। विवाह में परिवादी के पिता ने अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वेच्छा से परिवादी को दान दहेज दिया था। विवाह के बाद से ही परिवादी की सास गीताबाई, जेठ पंकी, जेठानी मीना, पति रिन्कू तथा देवर मोनू एवं छोटू परिवारिया से कम दहेज लाने के लिए कहने लगे थे एवं उसे अपने पिता के यहां से मोटरसाइकिल तथा बीस हजार रुपये लाने के लिए कहते थे एवं न लाने पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। परिवादी के पिता की सामर्थ्य दहेज देने की नहीं थी। सभी आरोपीगण परिवादी को दहेज के लिए परेशान करते थे आरोपीगण परिवादी को पहनने के कपड़े एवं खाना भी नहीं देते थे तथा आरोपीगण आये दिन परिवादी को बुरी बुरी गालियां देते थे। परिवादी के एक पुत्री भी पैदा हुई थी सभी आरोपीगण ने परिवादी को काफी परेशान किया था वर्ष 2007 में परिवादी की सास, जेठानी और पति ने परिवादी की मारपीट की थी और उसे अप्रैल 2007 में दंदरौआ हनुमानजी के दर्शन कराने के बहाने उसके पिता के घर छोड़ गये थे तथा यह कहकर चले गये थे कि मोटरसाइकिल और बीस हजार रुपये लेकर आओ तभी तुम्हारी पुत्री को रखेंगे। इसके बाद परिवादी के पिता ने रिश्तेदारों को साथ लेकर आरोपीगण के घर जाकर पंचायत की थी। दिनांक 25.09.07 को परिवारिया के पिता एवं पड़ौसी रवि अग्रवाल जब आरोपीगण के घर गये थे तो आरोपीगण ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बीस हजार रुपये और मोटरसाइकिल दोगे तभी तुम्हारी लड़की को लेने के लिए आयेंगे तभी से परिवारिया अपने पिता के घर निवास कर रही है। परिवारिया द्वारा घटना की रिपोर्ट यथासमय पुलिस थाना मौ में की गयी थी परन्तु पुलिस थाना मौ द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी थी फिर परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से थाना प्रभारी मौ एवं एस0पी0 भिण्ड को भी की थी इसके उपरान्त भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी तो परिवारिया द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त परिवाद की जांच उपरान्त मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 498ए का संज्ञान लिया गया तत्पश्चात् आरोप पूर्व साक्ष्य अंकित की गई एवं उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है:-

1. क्या आरोपीगण ने वर्ष 2007 में कस्बा मौ में परिवारिया श्रीदेवी के पति/नातेदार होकर परिवारिया श्रीदेवी से दहेज में बीस हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी श्रीदेवी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी की ओर से परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 एवं रोशन अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी वर्ष 2007 में रिन्कू के साथ हुई थी शादी के बाद वह दो साल तक अपनी ससुराल में ठीक ठाक रही थी इसके बाद पूरे घर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था उसका पति रिन्कू उसे बहुत हैरान परेशान करता था उसका पति रिन्कू एवं पूरा घर उसे अपने पिता के यहां से बीस हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल लाने के लिए कहता था आरोपीगण उसे पहनने के लिए कपड़े नहीं देते थे एवं खानापीना नहीं देते थे। शादी के तीन साल बाद उसके न्यायालयीन कथन से 7-8 साल पहले आरोपीगण दंदरौआ मंदिर जाने की कहकर लाये थे एवं उसके मायके शंकरपुरा मौ में गांव के बाहर छोड़कर चले गये थे। आरोपी रिन्कू ने उसके गांव शंकरपुरा के बाहर उसकी मारपीट की थी और उसे छोड़कर चले गये थे इसके बाद उसके मम्मी पापा आरोपीगण को मनाने उसकी ससुराल ग्वालियर गये थे परन्तु आरोपीगण नहीं माने थे एवं आरोपीगण ने कहा था कि पैसे और गाड़ी लेकर आओ तभी रखेंगे उसके माता पिता गरीब हैं वह पैसे नहीं दे सकते हैं उसने घटना के संबंध में मौ थाने पर आवेदन दिया था परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसने एस0पी0 एवं थाना प्रभारी मौ को डाक से आवेदन भेजा था जिनकी रजिस्ट्री रशीद प्र0पी-1 एवं प्र0पी-2 है। वह सात सालों से अपने मायके में रह रही है आरोपीगण उसे लेने नहीं आये हैं। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 9 में यह भी व्यक्त किया है कि शादी के बाद 8 दिन वह अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी इसके बाद उसे ससुरालवाले हैरान करने लगे थे।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके दो लड़कियां हैं। वह नहीं बता सकती कि आरोपीगण उसे किस महीना तारीख को शंकरपुरा छोड़ने आये थे। आरोपीगण ने शंकरपुरा गांव के बाहर जो उसकी मारपीट की थी उसके पहले ही उसने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट डाल दी थी उस दिन की कोई रिपोर्ट नहीं की थी वह थाने में ही रिपोर्ट करके आयी थी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने किसी माध्यम से थाने पर रिपोर्ट भेजी हो। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि शादी के बाद वह दो साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी दो साल बाद आरोपीगण उसकी मारपीट करने लगे थे। उसने मारपीट का कभी कोई मेडीकल नहीं कराया था क्योंकि आरोपीगण उसे जाने नहीं देते थे। आरोपी रिन्कू ने शंकरपुरा के बाहर जिस दिन उसकी मारपीट की थी उस दिन भी उसने कोई मेडीकल नहीं कराया था। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रतनगढ़ माता के मंदिर पर आरोपी रिन्कू जीप लेकर उसे लेने गया था एवं व्यक्त किया है कि रिन्कू ने उसे मारने की धमकी दी थी वह उसके कपड़े ले गया था पर उसे नहीं ले गया था। पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि शादी के बाद पांच साल तक वह मायके और ससुराल आती जाती रही थी। शादी के बाद रिन्कू उसे एक बार ही मायके लेने आया था इसके बाद रिन्कू उसे लेने नहीं आया था।

पद क्रमांक 13 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह अपने पति के साथ 6-7 साल से नहीं रह रही है 6-7 साल से वह अपने पति के घर नहीं गयी है और ना ही उसका पति उसे लेने आया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपीगण ने उसकी कोई मारपीट नहीं की थी हाजिर अदालत आरोपी मीना, दौलतराम, मोनू, एवं अनुपस्थित आरोपी छोटू के द्वारा ना तो उसकी कोई मारपीट की गयी और ना ही उससे दहेज की कोई मांग की गयी। पद क्रमांक 14 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता के सामने आरोपी रिन्कू ने उसकी कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही उससे दहेज की मांग की थी।

9. साक्षी रोशन अ0सा02 ने भी परिवादी श्रीदेवी के कथनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी एवं साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में व्यक्त किया है कि शादी के बाद वह दो साल तक अपनी ससुराल में ठीकठाक रही थी दो साल बाद उसे रिन्कू एवं पूरे घर ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था जबकि मुख्यपरीक्षण के ही पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि शादी के बाद 8 दिन वह अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी इसके बाद आरोपीगण उसे परेशान करने लगे थे आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे एवं उसे खाना नहीं देते थे इस प्रकार उक्त बिन्दु पर परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं परिवादिया श्रीदेवी ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह बताया है कि वह शादी के बाद दो साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी जबकि मुख्यपरीक्षण के ही पैरा 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि शादी के 8 दिन बाद से ही आरोपीगण उससे दहेज की मांग करने लगे थे तथा उसे परेशान करने लगे थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं जो परिवादिया के कथनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

12. परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 7-8 साल पहले आरोपीगण उसके मायके शंकरपुरा में गांव के बाहर छोड़कर चले गये थे उस समय रिन्कू ने शंकरपुरा के बाहर उसकी मारपीट भी की थी इसके बाद उसके मम्मी पापा आरोपीगण के मनाने ग्वालियर आये थे तो आरोपीगण नहीं माने थे तब उसने घटना के संबंध में मौ थाने पर आवेदन दिया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण ने शंकरपुरा गांव के बाहर जो उसकी मारपीट की थी उसके पहले ही उसने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट डाली थी उस दिन उसने कोई रिपोर्ट नहीं की थी। इस प्रकार परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 के कथनानुसार जब आरोपीगण उसे शंकरपुरा गांव के बाहर छोड़ गये थे उसके पहले ही उसने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट कर दी थी परन्तु मुख्यपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि जब आरोपीगण उसे गांव के बाहर छोड़ गये थे उसके बाद उसके माता पिता आरोपीगण को मनाने ग्वालियर गये थे एवं जब आरोपीगण नहीं माने थे तब उसने मौ थाने पर आवेदन दिया था इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं जो उसके कथनों की

सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

13. परिवारी श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह व्यक्त किया है कि शादी के तीन साल बाद आरोपीगण उसे शंकरपुरा गांव के बाहर मारपीट कर छोड़ गये थे जबकि प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि शादी के बाद पांच साल तक वह मायके और ससुराल आती जाती रही थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी परिवारिया श्रीदेवी अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं जो परिवारिया के कथनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

14. परिवारी श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के बाद आरोपीगण उससे बीस हजार रुपये एवं गाड़ी लाने के लिए कहते थे तथा ना लाने पर उसकी मारपीट करते थे एवं उसे खाना पीना नहीं देते थे जबकि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपीगण ने उसकी कोई मारपीट नहीं की थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसका पति उसके पिता से माफी मांगने गया था उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी मीना, दौलतराम उर्फ पिकी, मोनू, तथा अनुपस्थित आरोपी छोटू ने ना तो उसकी मारपीट की थी और ना ही उससे दहेज की कोई मांग की थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता के सामने आरोपी रिन्कू ने उसकी कोई मारपीट नहीं की थी एवं दहेज की कोई मांग भी नहीं की थी। इस प्रकार परिवारी श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह तो बताया है कि आरोपीगण उससे दहेज में बीस हजार रुपये तथा गाड़ी की मांग करते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि हाजिर अदालत आरोपीगण एवं अनुपस्थित आरोपी छोटू ने ना तो उसकी मारपीट की थी ना ही उससे दहेज की कोई मांग की थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी रिन्कू ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। इस प्रकार परिवारी श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने से एवं उसकी मारपीट करने से इंकार किया है एवं उक्त बिन्दु पर परिवारी श्रीदेवी अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं उक्त विरोधाभास अत्यंत तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

15. जहां तक परिवारी साक्षी रोशन अ0सा02 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी रोशन अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी रिन्कू श्रीदेवी से अपने मायके से बीस हजार रुपये और मोटरसाइकिल लाने के लिए कहता था फिर उन लोगों ने पंचायत की थी एवं आरोपी के घर जाकर उसे समझाया भी था परन्तु आरोपी नहीं माना था आरोपीगण ने उससे बीस हजार रुपये और मोटरसाइकिल की शर्त पूरी करने के लिए कहा था उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह व्यक्त किया है कि रिन्कू श्रीदेवी की मारपीट करके उसे दंदरौआ मंदिर पर ले आया था एवं फिर रिन्कू श्रीदेवी को मारपीट करके शंकरपुरा में छोड़ गया था उन लोगों ने रिन्कू को समझाया था कि मारपीट क्यों कर रहे हो तो रिन्कू गाड़ी फेंककर चला गया था। उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण श्रीदेवी को दंदरौआ मंदिर पर छोड़ गये थे। इस प्रकार परिवारी साक्षी रोशन अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह बताया है कि आरोपी रिन्कू ने शंकरपुरा में उसके सामने श्रीदेवी की मारपीट की थी तथा रिन्कू श्रीदेवी को

शंकरपुरा में छोड़कर चला गया था जबकि मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण श्रीदेवी को दंदरौआ मंदिर पर छोड़ गये थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर परिवादी साक्षी रोशन अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं जो उसके कथनों की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

16. रोशन अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह बताया है कि रिन्कू ने शंकरपुरा में उसके सामने श्रीदेवी की मारपीट की थी जबकि श्रीदेवी अ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि रिन्कू ने उसके पिता के सामने उसकी मारपीट नहीं की थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर रोशन अ0सा02 के कथन परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं उक्त तथ्य भी अत्यंत तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

17. साक्षी रोशन अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने आरोपीगण ने शादी के तीन महीने बाद से ही श्रीदेवी की मारपीट शुरू कर दी थी एवं तीन महीने बाद ही उसने आरोपीगण के विरुद्ध मौ थाने में रिपोर्ट की थी इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने मौ थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी रोशन अ0सा02 के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा एक ही बिन्दु पर एक ही समय में परस्पर विरोधाभासी कथन दिए गए हैं। साक्षी रोशन अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 1 में यह बताया है कि रिन्कू ने उसके सामने शंकरपुरा में श्रीदेवी की मारपीट की थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रिन्कू ने उसके सामने श्रीदेवी की कोई मारपीट नहीं की थी तथा यह भी व्यक्त किया है कि उससे श्रीदेवी ने कभी भी दहेज की मांग करने और मारपीट करने के संबंध में नहीं बताया था। इस प्रकार साक्षी रोशन अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि रोशन अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं उक्त साक्षी के कथन तात्विक बिन्दुओं पर परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं उपरोक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में तो यह बताया है कि आरोपीगण उससे बीस हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा ना लाने पर उसे प्रताड़ित करते थे उसकी मारपीट करते थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी और ना ही मारपीट की थी। इसके अतिरिक्त परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 ने आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परन्तु मारपीट के संबंध में कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट परिवादिया द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। परिवादी श्रीदेवी अ0सा01 एवं रोशन अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर भी विरोधाभासी रहे हैं स्वयं परिवादिया श्रीदेवी अ0सा01 ने अपने परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी और ना ही उसकी मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में जबकि स्वयं परिवादी श्रीदेवी ने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने एवं उसे प्रताड़ित करने के तथ्य से इंकार किया है अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध के लिए दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि आरोपीगण ने वर्ष 2007 में कस्बा मौ गोहद में परिवादी श्रीदेवी के पति/नातेदार होकर परिवादी श्रीदेवी से दहेज में बीस हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी श्रीदेवी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी रिन्कू बाथम, पिन्की उर्फ दौलत, मीना, मोनू एवं छोटू में से प्रत्येक को भा0दं0सं0 की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपी पिन्की उर्फ दौलत, मीना, मोनू एवं छोटू पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं। आरोपी रिन्कू बाथम निरोध में है उसे स्वतंत्र किया जावे।

22. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान — गोहद

दिनांक —04.01.2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)